should be settled, action should be taken against those who are creating disturbances, particularly playing one judge against the Chief Justice, and the transfer should take place. Thank you.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO (Jammu and Kashmir): Madam, I would like to associate myself with the Special Mention made by Mr. Kulkarni.

SHRI TIRATH RAM AMLA (Jammu and Kashmir): Madam, I would also like to associate myself with this and I would like to say a few words on this. It is a well known fact that behind all this as the news has come in the newspapers—is* They are all instigating*

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think we should not take names in the House.

SHRI TIRATH RAM AMLA: He is behind all these things. His transfer was ordered as far back as in July, 1988. His successor was nominated. But since July, 1988, his transfer has been kept in abeyance. I do not know for what reasons. I would like to impress upon the hon. Law Minister, through you. He should see that the order of transfer is implemented as soon as possible so that this vicious propaganda is stopped and the erosion of confidence of the people in the judiciary is restored.

SHRI DHARAM PAL (Jammu and Kashmir): Madam, I also associate myself with what Mr. Kulkarni and my two colleagues from Jammu and Kashmir have said. The situation in the Jammu and Kashmir High Court is such--we are having reports—that if a Bench of two judges is set up, one does not like to sit with another. That is why we have the policy of the Central Government and the Supreme Court that one-third of the judges should be from outside the State. In Jammu and Kashmir we have seven judges and out of these seven only one is from outside the State, Justice Shah from Madhya Pradesh. The same policy should be followed in Jammu and Kashmir and those who are creating indiscipline, as is being reported in the Press, should be transferred to other States.

News-Item in 'Times of India' Re. Alleged Financial Support by a Smuggler to a Contestant in Allahabad Bye-Election

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, आपने मुझे विशेष उल्लेख करने का मौका दिया है, मैं आपका शुक्र-गुजार हूं।

31 अक्तूबर, 1984 को दिन में ही सूरज डूब गया था। हमारे देश को 3 समुद्रों ने घेर रखा है—अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिन्द महासागर—उनकी उत्ताल तरंगें ठहर गई थीं। देश की नदियों में वेदना का पानी प्रवाहित हो रहा था। सारा देश आश्चर्य-चकित था कि 31 अक्तूबर, 1984 को देवी का अवतार लेने वाली, विश्व मानवता की सर्वाधिक विख्यात नेता, राष्ट्र की प्रधान मंत्री, कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती इन्दिरा गांधी का शरीर स्टेनगन से छलनी कर दिया गया। उसका आभास उन्हें पहले से ही था, क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले भुवनेश्वर में कहा था "मैं रहूं या न रहूं लेकिन मेरे खून का एक-एक कतरा भारत का, नए भारत का निर्माण करेगा" और दूसरे दिन ही वे शहीद हो गईं। जब मैं उन्हें देवी कहता हूं तो उन्हें ज्ञात था कि हम इस संसार में अब नहीं रहेंगे और उन्होंने पहले ही उसकी घोषणा कर दी थी। आज हमारे अपोजीशन की स्थिति यह है कि नाचना भी चाहते हैं और घूंघट भी नहीं उठाना चाहते हैं। उनका घूंघट उठाने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। अगर वे होते तो अच्छा होता, लेकिन वे हैं नहीं। कोई नर्तकी नाचना चाहे, लेकिन घूंघट काढ़ कर नाचना चाहे, तो यह संभव नहीं है। इसलिए आज मैं इन गद्दारों का पर्दाफाश करना चाहता हूं...

श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी (महाराष्ट्र): घूंघट रखकर कैसे नाचेगी? ...

डा० रत्नाकर पाण्डेय: इसीलिए मैं उनका घूंघट उठा रहा हूं—परदे में रहने दो, परदा न उठाओ कहा जाता है, लेकिन मैं उनका पर्दा उठा रहा हूं...

*Not recorded.

श्री एन० के० पी० साल्वे (महाराष्ट्र) : किस पर बोल रहे हैं? ...(व्यवधान)

डा० रत्नाकर पाण्डेय: आप कहते हैं कि आप जेठमलानी से डर गए। माननीय उपनेता जी, इस तरह का कमेंट आप करते हैं...

श्री एन० के० पी० साल्वे: मैंने यह नहीं कहा कि आप डरे...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Don't argue, please.

डा० रत्नाकर पाण्डेय: माननीय उपसभापति जी, बलिदान के एक दिन पहले इंदिरा जी ने कहा था कि मेरे खून का एक एक कतरा नए भारत का निर्माण करेगा। आज अपोजिशन के लोग इंदिरा गांधी की शहादत का राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं. मैं उनको चैलेंज करता हूं अपनी पार्टी की ओर से कि देखो जनता कितनी घृणा से आपको देख रही है। इंदिरा गांधी के साथ किस तरह की हरकत वे आज कर रहे हैं, जनता जानती है. इंदिरा जी की हत्या से राष्ट्र कांप उठा था। राजीव जी को राष्ट्र ने अपना सबसे अधिक समर्थन देकर प्रधान मंत्री बनाया। अगर वह प्रधान मंत्री नहीं बनाए जाते तो इस देश में रक्त रंजित घटनाएं होती। जिस देश की मां, इस देश को खालिस्तान नहीं बनने दूंगी चाहे मैं रहूं या नहीं, यह कहती थी, इतिहास के पन्नों पर जिनके खून के छींटे अभी सूखे नहीं हैं, उसके बेटे ने प्रधान मंत्री बनते ही जो लोकप्रियता प्राप्त की है विश्व में, मानवता के उद्धार के लिए, निरस्त्रीकरण के लिए, गरीबों को उठाने के लिए, जहां परतंत्रता है, जहां छुआछूत है, जहां आज भी दासता है उनको मुक्त करने के लिए, जो सम्मान उन्होंने सारे विश्व में प्राप्त किया, मैं गर्व के साथ इस सदन में कहना चाहता हूं कि दुनिया में ऐसा सम्मान कोई भी नेता प्राप्त नहीं कर सका जो राजीव गांधी ने प्राप्त किया है। एक मां का अपने बेटे के लिए क्या दर्द होगा, एक बेटे और मां की भावनाओं का प्रश्न है, संवेदना का प्रश्न है, उसे राजनीतिक टूल बनाया जा रहा है। इसकी निन्दा करता हूं.* हाजी मस्तान ने दिनांक 30 मार्च, 1989 को जनता दल के नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह के संदर्भ में एक वक्तव्य दिया है जो 'इंडियन ऐक्सप्रेस' में छपा है। उस वक्तव्य को लेकर सारा बावेला मचा हुआ है, ठक्कर कमीशन का।

महोदया, 'टाइम्स आफ इंडिया' में वह वक्तव्य छपा है. हाजी मस्तान ने जो प्रेस रिलीज दिया है, वह मेरे पास है, मैं उनको सदन के सामने पढ़ना चाहता हूं. उन्होंने कहा है:

> "दलित मुस्लिम माइनोरिटी सुरक्षा महासंघ, 410, अकार्डिया बिल्डिंग, सर जे० जी० रोड, अपोजिट जे० जे० हास्पिटल, बंबई

दलित मुस्लिम माइनोरिटी सुरक्षा महासंघ के अध्यक्ष हाजी मस्तान द्वारा अखबारों के लिए विज्ञप्ति : श्री हाजी मस्तान मिर्जा ने बंबई की दर्दनाक घटना पर गहरा दुख प्रकट करते हुए कहा है कि उन्हें इस बात से और गहरा दुख हुआ है कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने इस संबंध में अभी तक सहानुभूति का एक शब्द भी नहीं कहा है, न ही कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जो 13 निर्दोष मुस्लिम लोग मारे गए रशदी की किताब के लिए, उस संदर्भ में उनकी जांच के लिए उन्होंने कहा—श्री हाजी मस्तान मिर्जा ने अपने वक्तव्य में कहा है कि जब वी० पी० सिंह इलाहाबाद का चुनाव लड़ रहे थे तो मेरे इशारे पर लोगों ने उनके चुनाव अभियान में आर्थिक मदद पहुंचाई है तथा जी जान से उनकी मदद की। हम लोग...

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया (बिहार) : महोदया, यह पूरा हाउस डिमांड करता है* कि इसकी जांच की जाय।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। पूरा वक्तव्य पढ़ूं उसके बाद ही माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करेंगे। "हम लोगों की यह भावना थी कि वह अल्पसंख्यकों के सभी प्रश्नों पर एक दोस्त की भूमिका निभायेंगे। परन्तु बाबरी मस्जिद का सवाल हो, बम्बई में हुई गोलीबारी से निरपराध लोगों की मौत का सवाल हो या राष्ट्रीय खिलाड़ी सैयद मोदी की हत्या का सवाल हो, वी. पी. सिंह की भूमिका मुसलमानों के हित में नहीं है। इलाहाबाद के चुनाव में हम लोगों ने तन-मन-धन से जो मदद की उसके बदले मे जो आश्वासन वी. पी. सिंह ने हम को दिया उसकी वी. पी. सिंह

*Expunged as ordered by the Chair.

वायदा खिलाफी कर रहे हैं। वह फिरका परस्तों से हाथ मिला रहे हैं। उन्हें दलित और मुस्लिम समाज के भविष्य के समर्थन की कोई परवाह नहीं है ऐसा उनके व्यवहार से लग रहा है। श्री हाजी मस्तान ने कहा यदि श्री सिंह का यही रवैया रहा तो उसे राजनीतिक अंजाम भुगतने पड़ेगें।"

हाजी मस्तान,
अध्यक्ष, दलित मुस्लिम माइनोरिटी सुरक्षा महासंघ।

इसी सदन में हमारी सरकार की करनी और कथनी में क्या फर्क है, मैं बतानां चाहता हूं। जब ज्ञानी जैल सिंह जी महामहिम राष्ट्रपति के पद से अवकाश ले रहे थे तो अपने इसी सदन के एक माननीय सदस्य के साथ मैं उनसे मिला था और एक आरोप पत्र दिया था वी.पी.सिंह के खिलाफ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ज्ञानी जैल सिंह जी को कि उन्होंने हमारे सामने भारत सरकार को इमीडिएट अप्रोप्रिएट एक्शन लेने के लिए डायरेक्ट किया। वह पत्र मेरे पास है जिसको पढ़ कर मैं अधिक समय इस सदन का बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। उसके बाद भारत सरकार को हमारे सदन के अधिकांश सदस्यों ने हस्ताक्षर करके एक आरोप पत्र दिया। उसमें लिखा गया था कि जब कि 18 एकड़ से अधिक की भूमि राम जानकी दहिया ट्रस्ट नहीं रख सकती है तब हजारों एकड़ भूमि राम जानकी दहिया ट्रस्ट के नाम वी.पी.सिंह ने बनायी और उस ट्रस्ट की जांच नहीं हुई। जब वह मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने जो मांडा स्टेट में झाड़ियां थीं उन्हें जंगल दिखा कर 90 लाख रुपये उत्तर प्रदेश सरकार से लिये। उसके अलावा उन्होंने पांच हजार निर्दोष अल्पसंख्यक जो माइनोरिटी और वीकर सेक्शन के लोग थे, उनकी डाकू उन्मूलन के नाम पर हत्या करवाई। राम जानकी एवं दहिया ट्रस्ट के दो वकील अंशुमन सिंह और विभव भूषण उपाध्याय को यू.पी. हाई कोर्ट मे जज और दूसरे को एटार्नी जनरल का स्थान दिया। जब यह वित्त मंत्री थे, कामर्स मंत्री थे भारत सरकार में तो इन्होंने अपने पुत्र अजय सिंह को 1 लाख 60 हजार रुपये महीने पर सिटी बैंक न्यूयार्क में नौकरी दिलवायी जब कि हमारे बच्चे को क्लर्की की नौकरी तक नहीं मिलती। विदेश से जब उनके बेटे लौटे तो उन्होंने रिलायंस के शेयर खरीदे लाखों-लाख रुपये के। यह रुपया कहां से आया इनके पास? इसके बाद इल्लीगल मनी से खरीदा गया 20 लाख रुपये का सामान दिल्ली में हवाई अड्डे पर लाये। जो एम.एम.टी.सी. के चेयरमैन राघवन है, वह भी इसमें शामिल थे। उन्होंने 'फेरा' एक्ट का उल्लंघन किया। इसके अलावा इन्होने लगभग 3 करोड़ रुपये का टैक्स जो मांडा स्टेट का ट्रस्ट है उसके ऊपर लगा था, डिप्टी मिनिस्टर रहते हुए सरकार को धोखे में रख कर, माफ कराया। दिल्ली में प्लाट बेचे 6 लाख के 1971 मे एम.पी. रहते हुए। इसकी जुडिशियल इंक्वायरी की हमने मांग की थी, सारे सदन ने की थी ज्ञानी जैल सिंह, महामहिम राष्ट्रपति से भारत सरकार को इस पर जांच बैठाने के लिए और एप्रोप्रिएट इमिडिएट एक्शन लेने के लिए। कुछ नहीं हुआ।

हाजी मस्तान जो देश का सबसे कुख्यात तस्कर है उसी ने कहा है कि वी.पी. सिंह के चुनाव में मैंने रुपया दिया है। वह रुपया मैंने अपने पास से ही नहीं बल्कि लोगों से दिलवाया है। तन-मन-धन से हमने उनकी मदद की और अब वह कन्नी काट रहे हैं, सहायता नहीं कर रहे हैं। जिस व्यक्ति का हाजी मस्तान से इतना सम्बन्ध है, उसके गैंग से, तस्करों से वह व्यक्ति कैसे अपोजिशन का लीडर है समझ नहीं आता। वह राजीव गांधी पर आरोप लगा रहा है।

मैं भारत सरकार से , अगर सरकार नाम की कोई चीज है, यहां पर हमारे उपनेता बैठे हुए हैं, हमारे कांग्रेस के कोषाध्यक्ष बैठे हुए हैं, हमारे संसदीय मामलों के मंत्री बैठे हुए हैं, आप अपनी सरकार से कहिये कि इस मामले की पूरी जांच हो* उनके ऊपर जो कुछ आरोप लगाये हैं उस पर जांच बैठाई जाय। हमारी सरकार की नीति है कि वह डिफेन्सिव लड़ाई लड़ती है जब कि उसको ओफेंसिव लड़ाई लड़नी चाहिए । अगर सरकार जागरूक होती और गृह मंत्रालय इस तरह का कार्य रोकता तो स्थिति दूसरी होती। पता नहीं सरकार को कौन-सा मोह और संकोच पड़ा हुआ है? इनके मुख्यमंत्रित्व काल में उनके सगे भाई सी.पी.एन. सिंह की डाकुओं के द्वारा हत्या की गई? इसकी जांच से साफ हो जाएगा कि किस कारण से उनकी हत्या हुई थी।

*हम ठक्कर आयोग कमीशन और नटराजन कमीशन की रिपोर्ट सदन में लाये। मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने इस मामले पर क्या कार्यवाही की और क्या एक्शन लिया जब कि हर्षमैन जो सी.आई.ए. का रिटायर डायरेक्टर था, उसको भारत सरकार की महत्वपूर्ण गोपनीय फाइलें सौंप दी गईं और आज वही व्यक्ति

*Expunged as ordered by the Chair.

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

अपोजिशन का नेता बना बैठा है, तस्करों से हाथ मिलाये हुए हैं, करोड़ों करोड़ रुपयों की सम्पत्ति रखे हुए हैं। सारे देश की जनता को धोखा दे रहा है।

ऐसा आदमी जिसकी तस्करों से मिलीभगत है, इस देश में जनतंत्र को नष्ट करना चाहता है, उसकी जांच होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से, भारत सरकार से, इलेक्शन कमीशन से, जांच की मांग करता हूं। जब इन्दिरा गांधी के इलेक्शन को 1975 में जगमोहन सिन्हा ने चेलेंज किया था और उन्होंने उसको रद्द कर दिया था तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको इजाजत दी थी और कहा था कि गलत निर्णय हुआ है। लेकिन यहां पर साफ कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति को, तस्कर कहते हैं कि हमने रुपया दिया है। अपने साथियों से दिलवाया है और हर तरह से मदद की है, पत्रानुसार यह व्यक्ति जो तस्करों से पैसा लेकर जनतंत्र की हत्या कर रहा है वह * है। हम लोग एक या डेढ़ लाख से ज्यादा रुपया लोक सभा के चुनाव में खर्च नहीं कर सकते हैं। इस व्यक्ति ने चुनाव में निर्धारित राशि से अधिक रुपया खर्च किया, उसकी जांच कराई जाय। इसके पूरे मामले पर जांच बैठाई जाय, उस पर कमीशन बैठाया जाय, इंक्वायरी कराई जाय। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं और अपने वक्तव्य को समाप्त करते हुए अपने शायर साथी श्री बेकल उत्साही जी की चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं-

> वही जो कातिलों का तस्करों का यार होता है,
> सियासत में भी उसके नाम कारोबार होता है।
> जो इस कुर्सी के लालच में वतन को बेच सकता हो,
> जमाना कह रहा वो देश का गद्दार होता है।

जो आरोप सदन में लगाये गये हैं उन पर तत्काल कमीशन बैठा कर जांच कराई जाय।

श्री मीर्जा इर्शादबेग (गुजरात): उपसभापति महोदया, डा० रत्नाकर पाण्डेय जी ने जिस चीज को उजागर किया है उसकी गंभीरता यहां साबित होती है कि जब राष्ट्रपति जी को यह निवेदन दिया गया था और राष्ट्रपति जी से कार्यवाही करने के लिये कहा गया था तो तब से इतना अधिक समय व्यतीत हो गया है, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सरकार इसकी सम्पूर्ण जांच करवाये क्योंकि ऐसे लोग आज जगह जगह पर बैठ कर बहुत कुछ कर रहे हैं। देश की जनता को हकीकत का पता होना चाहिए। अगर पर्दा उठ जाएगा तो लोगों को असलियत का पता लग जाएगा कि हकीकत क्या है। इसलिए पर्दा उठाने के लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। इतना समय व्यतीत हो गया । इसकी जांच करवा कर सारे निर्णय सदन के सामने प्रस्तुत किये जायें.....**(व्यवधान)**।

उपसभापति : डा० रत्नाकर पाण्डेय जी ने जो कुछ कहा है, उसके बारे मे सब ने कहा है । मुझे यकीन है सरकार जरूर इस पर ध्यान देगी।

कुमारी सईदा खातून (मध्य प्रदेश): महोदया, मैं आपके माध्यम से उन गरीब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं जिन्होंने वी० पी० सिंह पर अपना बहुत सा पैसा खर्च करके उनको अपना समर्थन दिया था, उस वक्त जब कि चुनाव हुए थे और उनको बनाने में मदद दी थी। महोदय, मैं रत्नाकर पांडेय जी के स्पेशल मैंशन का समर्थन करती हूं। मुझे वी० पी० सिंह के वे अल्फाज याद हैं जो कि उन्होंने इस हाउस में कहे थे कि अगर जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई किया जाय तो इसका रिजल्ट जीरो ही निकलता है। जिन गरीब भाइयों ने उस समय कांग्रेस के खिलाफ जाते हुए उनका साथ दिया, जिन मुस्लिम भाईयों ने उनका साथ दिया था उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आइन्दा वे उनसे किसी हमदर्दी की उम्मीद ने करें और राजीव गांधी की सरकार में विश्वास करके उनको अपना समर्थन दें।

श्रीमती सत्या बहिन (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदया, यह एक बहुत ही गंभीर....

उपसभापति: रत्नाकर पांडेय जी ने बहुत बोल दिया है।

श्रीमती सत्या बहिन: मामला बहुत ही गंभीर है।

उपसभापति: रत्नाकर पांडेय जी ने बहुत बोल दिया है।

श्रीमती सत्या बहिन: महोदया, इस सदन के

*Not recorded.

माध्यम से मैं आरोप लगाना चाहती हूं, मैं इस संबंध में चुनौती देना चाहती हूं कि ये विपक्षी लोग और उनके सहयोगी देश भर में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वे हरिजनों की हत्यायें करवा रहे हैं, मुसलमानों की हत्यायें करवा रहे हैं।

माननीय उपसभापति महोदया, एटा में जो कांड हुआ, जिस पर मैंने स्पेशल मैंशन किया था, उस संबंध में मैं चुनौती के साथ कहना चाहती हूं कि उसमें इन्हीं के लोगों का हाथ है। वहां पर जो विधायक है वे अपने को संजय सिंह का रिश्तेदार बताते हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह से भी रिश्तेदारी बताते हैं। आज तक वे हरिजनों के यहां नहीं गये हैं और जो हमलावर हैं उनके यहां बैठते हैं और उनका हौसला बढ़ाते हैं। महोदया, मैं सदन के माध्यम से इस बात की चुनौती देती हू और उनको कहती हूं कि अगर उनके अंदर जरा भी नैतिक बल है तो वे मेरी इस बात को झूठी साबित करें।

Re. Observations of the Deputy Chairman on Extensions to the Bachawat Wage Board

I-

esh): I wish to draw your attention to very important matter. Certain observations of yours as reported in a section of the press on the journalists Wage Board issue has created...

उपसभापति: आर्डर प्लीज। अगर कोई मेंबर बोल रहा हो तो या तो आप खामोश चले जाइये या बैठे रहें। अभी हाउस एडजर्न होने वाला है।

SHRI KAPIL VERMA: ...some confusion and anxiety amongst journalists as it has come from the Chair. I am sure you have been misunderstood by a section of the Press because your sole intention was to help the cause of the journalists, but, as it happened the report had its opposite effect. So, I appeal and request you to please clarify it.

Both sides of the House on Friday had expressed anxiety about the delay in the submission of the report by the Wage Board for journalists and non-journalists and had criticised the delay in the submission of the report. The Deputy Labour Minister had informed the House that as many as seven extensions had been given to the Board. As directed by you, the Labour Minister had given a statement later in the day. A part of our observations to which I am referring to has been thus reported in a section of the Press and I quote:

> "The Deputy Chairman, Mrs. Najma Heptulla, asked the government to ensure 'no more time' was given to the Bachawat Wage Board for journalists and non-journalists."

It this is taken as correct reporting of your observations, it would prevent the Government from giving any extension to the Board as it will be deemed a direction from your august Chair. In that case it will create a piquant and unfortunate situation for the Board has completed its hearings and has only to write its report. If no extension is given the whole thing will hang in the air with all the labour of many years going waste. No report can be submitted in that case. So, it is necessary that extension should be given to this Board.

Of course, journalists are unhappy about the delay in the submission of the report. The Board proposals are also extremely disappointing to journalists, particularly about CCA, House Rent Allowance, Pay Scales etc. But howsoever unsatisfactory the report may be, it should be submitted as soon as possible and the Government should use its power under the Act to improve it in order to give a fair deal to the journalists for which they have been waiting so long. For this, an extension has to be given to the Board. Of course, it should be clearly understood that the extension will be final and the last and no more extension will be given. The Government should also not delay an announcement of its decision on the question of extension.